

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश


क्रमांक/स्थापना/03/2017/2747

भोपाल, दिनांक 12.09.17


- आदेश -

म0प्र0लोक सेवा आयोग इन्दौर के पत्र क्रमांक/6629/66/2016/चयन दिनांक 21.07.2017 के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2015 की चयनित मुख्य सूची के अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के प्रत्याशियों को अन्य आगामी आदेश होने तक अस्थाई तौर से स्थानापन्न सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5200--20200+2800 ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिविक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है -

अ0 क्र0	लोक सेवा आयोग की मुख्य सूची वर्ष 2015 का अ0क्र0	चनियत अभ्यार्थी का नाम व पता	अभ्यार्थी का वर्ग	अभ्यार्थी का चयन जिस वर्ग के तहत किया गया	पदस्थापना स्थान
01	02	03	04	05	06
01	01	श्री आकाश जैन पुत्र श्री आनन्द जैन म0नं0 2, अशोक किराना नरसिंह वार्ड जवेरा, दमोह	सामान्य	सामान्य	अशोकनगर
02	02	श्री हेमन्त कुमार रावते पुत्र श्री काशीराम रावते, द्वारा-श्री किशोर कुमार भूते, एडव्होकेट, 25 मोतीनगर बालाघाट	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य	हरदा
03	03	सुश्री प्रियंका तिवारी पुत्री श्री सुरेश तिवारी, 132, हनुमानगढ, राधौगढ, गुना	सामान्य	सामान्य	श्योपुर
04	04	श्री रवि मिश्रा पुत्र, श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, ग्राम पो0 गढ, थाना गढ तह0 मनगवां, रीवा	सामान्य	सामान्य	शहडोल
05	06	श्री प्रवीण नाबंगे, पुत्र श्री कृष्णराव नाबंगे, सिविल लाईन, वार्ड-5 कोठी थाना भैसदेही, बैतूल	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य	डिण्डौरी


11/9/17


06	06	श्री चंचल ठाकरे, पुत्र श्री मारुतिराव ठाकरे, 656/9, हरिकिशन स्कूल के पास, पंजाब कालोनी, जसवाडी रोड, खण्डवा	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य पिछडा वर्ग	अलीराजपुर
07	07	सुश्री सोनाली वशिष्ठ, पुत्री श्री राजेन्द्र वशिष्ठ, सर्किट हाउस रोड, रामबाग कालोनी, शिवपुरी	सामान्य	सामान्य	अशोकनगर
08	08	सुश्री निधी राजपूत, पुत्री श्री उमेद सिंह राजपूत, प्रतिभा कालोनी, आदम वार्ड, गाडरवाडा, नरसिंहपुर	सामान्य	सामान्य	हरदा
09	09	श्री प्रमोद कुमार सोनी, पुत्र श्री बैसाकुलाल सोनी, छोटा तालाब के पास, काल भैरव मंदिर के सामने दुर्गा चौक, छिन्दवाडा	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य पिछडा वर्ग	मण्डला
10	10	सुश्री निधी यादव, पुत्री श्री यशवंत सिंह यादव, द्वारा-हाकिम सिंह यादव, कृष्ण कुटीर, छपेटी भाण्डेर, दतिया	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य पिछडा वर्ग	ग्वालियर
11	12	श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, पुत्र श्री राधेश्याम चन्द्रवंशी, ग्राममोहिनी, पो0 राहटा, तह0वाधवगढ, उमरिया	अनु0जाति	अनु0जाति	सीधी
12	13	सुश्री पूजा गेहलोत, पुत्री श्री राम प्रसाद गेहलोत एमआईजी 191, महाशक्ति नगर, उज्जैन	अनु0जाति	अनु0जाति	नीमच
13	14	श्री मुकेश पवार, पुत्र श्री सौदान सिंह पवार, ग्राम पो0 बैरागढ, देवास	सामान्य	सामान्य (अस्थि बाधित)	सीधी


11/12/14


14	16	श्री कमरू हटीले, पुत्र श्री नागर सिंह हटीले, ग्राम-कोठरी कनवाडा, तह-जोवट, अलीराजपुर	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	सिंगरौली
15	17	सुश्री राजश्री बुन्देल, पुत्री श्री इन्दर सिंह बुन्देल 38/1, सहस्त्र धारा मार्ग, महेश्वर, जिला खरगोन	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	झाबुआ

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :-

- (1) अभ्यर्थी को भारत तथा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेनी होगी ।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोहिस दिये बिना या उसके ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्त की राशि जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर देय राशि उस व्यक्ति से भू- राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
- (3) संबंधित अभ्यर्थी सवयं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से मूलतः प्रस्तुत करेगा ।
- (4) यदि अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तो यह समझा जावेगा कि वह इस विभाग में पदभार ग्रहण नहीं करना चाहता है । ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा । निरस्ती के लिये अलग से कोई आदेश प्रसारित नहीं किये जावेंगे ।
- (5) अभ्यर्थी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची वर्ष 2015 के अनुसार मानी जावेगी ।
- (6) दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में इन्हें सहकारी निरीक्षक के लिये निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा यदि और कोई विभागीय परीक्षा विहित हो तो वह भी उत्तीर्ण करना होगी ।
- (7) परीवीक्षा अवधि में सहकारी निरीक्षक के पद पर उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बनाये सेवायें समाप्त की जा सकेगी ।
- (8) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश का पालन किया गया है ।


11/9/17

- (9) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जावे और उन्हें लागू किये जाये, के अधीन रहेंगे ।
- (10) म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.12 में अंकित अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।


(आशुतोष अवस्थी)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 12.09.17

क्रमांक/स्थापना/3/2017/2747

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- (2) सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर के पत्र दिनांक 21.07.17 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- (3) कलेक्टर, जिला अशोकनगर, हरदा, श्योपुर, शहडोल, डिण्डौरी, अलीराजपुर, मण्डला, ग्वालियर, सीधी, नीमच, सिंगरौली, झाबुआ ।
- (4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय अशोकनगर, हरदा, श्योपुर, शहडोल, डिण्डौरी, अलीराजपुर, मण्डला, ग्वालियर, सीधी, नीमच, सिंगरौली, झाबुआ ।
- (5) जिलो कोषालय अधिकारी अशोकनगर, हरदा, श्योपुर, शहडोल, डिण्डौरी, अलीराजपुर, मण्डला, ग्वालियर, सीधी, नीमच, सिंगरौली, झाबुआ ।
- (6) समस्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग, मध्यप्रदेश ।
- (7) उपायुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर, हरदा, श्योपुर, शहडोल, डिण्डौरी, अलीराजपुर, मण्डला, ग्वालियर, सीधी, नीमच, सिंगरौली, झाबुआ ।

अ- जिले में उपरोक्तानुसार नवनियुक्त सहकारी निरीक्षक के उपस्थित होने पर तथा कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता में पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कार्यालय सहायक आयुक्त अंकेक्षण में उपस्थित कराया जावे। जिले के उपरोक्त दोनों कार्यालयों में रिक्त पद उपलब्ध न होने पर कार्यालय संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें ।

ब- संबंधित अभ्यर्थी से सर्वप्रथम विकास खंड के रिक्त पद भरे तथा सम्बंधित अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने, नहीं करने की जानकारी समयावधि में समाप्त होते ही अनिवार्यतः इस कार्यालय को प्रेषित करें।

स- उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के मेडिकल फिटनेस, शैक्षणिक योग्यता जनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, संबंधित एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से आवश्यक रूप से परीक्षण कर संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करावें, अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय को अवगत करावें।


(8) महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर ।

(9) संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय ।

(10) सर्वसंबंधित क्रमांक 01 से 15 तक की ओर पालनार्थ ।

(11) स्थापना 7 एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


11/2/17

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश

३